

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-11/2023/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-.....

विभागीय अधिसूचना सं०-4732 दिनांक-30.04.2025 जिसके द्वारा 26 पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस की गई थी। उक्त अधिसूचना को विभागीय कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रंजन कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

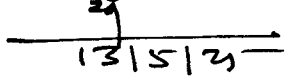
ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-11/2023 **5296** /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-**13/05/25**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित उप नगर आयुक्त/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)/श्रम संसाधन विभाग/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/5/25
सरकार के अवर सचिव।